निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -139/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क0नि0)-II वा णज्य कर, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डप्टी क मश्नर (क0नि0)-II वा णज्य कर, हरिद्वार के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार एवं श्री सराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, द्वारा दिनांक 18.01.2018 से 27.01.2018 तक श्री एन.के. सन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. **(1)**परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री सराज हुसैन, श्री प्रवीण कुमार सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 06.01.2017 से 16.01.2017 तक श्री एन.के. सन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/15 से 03/16 तक एवं व्यय हेतु माह 04/16 से 03/17 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः – वा णज्य कर हरिद्वार
3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय (आबकारी वभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख मे)
2014-15	23502.41
2015-16	14053.52
2016-17	16782.76

(ii)(ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(लाख में)

21-वर्ष बजट आवंटन व्यय बचत/अ धक्य

	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत
2014-15	4,65,02000	--	4,43,20,368	--	21,81,632	--
42-अन्य व्यय (वैट रिफन्ड)	6,40,00,000	--	3,31,03,524	--	3,08,96,476	--
2015-16	5,47,96,000	50,00,000	50352124	50,00,000	44,43,876	--
42-अन्य व्यय (वैट रिफन्ड)	6,50,00,000	--	6,07,16,929	--	42,83,071	--
2016-17	7,00,13,000	--	6,52,43,589	--	47,69,411	
42-अन्य व्यय (वैट रिफन्ड)	5,50,00,000	--	4,07,43,566	--	1,42,56,434	--

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, वत्त **>** आयुक्त कर, वा णज्य कर**>** ज्वाइंट क मश्नर, वा णज्य कर**>** डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वा णज्य कर**>** वा णज्य कर अ धकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कर निर्धारण, ट्रे डम दैनिक आवशयकता की वस्तु को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**II** वा णज्य कर, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह 03/2017, 06/2016 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्ययः माह 03/2017 को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(अ)

प्रस्तर स: 1 – स्वीकृत कर पर ब्याज का अनारोपन ` 53.93 लाख|

उत्तराखंड मूल्यव र्धत कर अ धनयम 2005 की धारा 34(4) के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत कर के वलंबित जमा पर 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा|

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क नि) –II वा णज्य कर, हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ल मटेड, सडकुल ,हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के वाद में व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में `1,37,02,89,442/- की स्वनि र्मत दवाइयों की केन्द्रीय बिक्री पर 1% की दर से कर देयता स्वीकार की गई जब क उक्त बिक्री पर 2% की दर से कर आरोपणीय होने के कारण कर निर्धारण अ धकारी द्वारा व्यापारी के वरुद्ध ` 1,33,44,911/- की मांग (जून 2016) सृजित की गई थी| आगे पत्रावली की जाँच में पाया गया क उक्त मांग पर अ धनियम के प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारण आदेश की ति थ (जून 2016) तक 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से `53,92,806/- का ब्याज (दिनांक 01.10.2013 से 10.06.2016 तक) भी आरोपणीय था जिसे कर निर्धारण अ धकारी द्वारा आरो पत नहीं कया गया था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर कर निर्धारण अ धकारी द्वारा बताया गया क माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशानुसार (दि. 23.10.2016) उक्त मांग स्थ गत की गई थी जिसपर कोई कार्यवाही अपे क्षत नहीं थी|

उत्तर मान्य नहीं था , क्यों क उक्त मांग पर ब्याज अ धनियम के प्रावधानों के तहत आरोपणीय था जिसकी कार्यवाही कर निर्धारण अ धकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित कये जाने के समय ही आपे क्षत थी जो नहीं कया गया था| पुनः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मांग को समाप्त नहीं कया गया था बल्कि केवल स्थ गत कया गया था|

इस प्रकार अपूर्ण कर निर्धारण आदेश एवं समयानुसार आपे क्षत कार्यवाही न कये जाने के कारण संद र्भत प्रकरण में `53,92,806/- के ब्याज का अनारोपण हुआ था|

प्रकरण शासन / वभाग के संज्ञान मे लाया गया|

भाग 2(ब)

प्रस्तर स-01 अर्थदण्ड का अनारोपण `12.78 लाख

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्योवाहरी द्वारा युक्ति – युक्त कारण के बिना स्वीकृत कर के वलंबित जमा पर देय कर का न्यूनतम 10% अर्थदण्ड आरोपणीय होगा|

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क नि) –II वा णज्य कर हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क कुल 03 व्यापारियों द्वारा व भन्न माहों में देय कर की कुल रा श `12781919/- को युक्ति युक्त कारण के बिना वलंब से जमा कया गया था (ववरण संलग्न)।

अत: वलम्ब से जमा कर की धनरा श पर अ धनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियामानुसार `1278192/- का न्यूनतम अर्थदण्ड अरोपणीय था जो नहीं कया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क नियमानुसार कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा|

अत: प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्र स.	व्यापारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की निर्धारित ति थ	कर जमा करने की वास्त वक ति थ	कर की धनरा श	आरोपनीय अर्थदण्ड
1.	सर्वश्री साईंनोकेम फार्मास्युटिकल्स ल मटेड	2013-14	04/2013	25.05.2013	03.07.2013	1200000	120000
			05/2013	25.06.2013	11.07.2013	1200000	120000
			06/2013	25.07.2013	02.08.2013	75000	7500
			07/2012	25.08.2013	05.09.2013	650000	65000
2.	सर्वश्री लयर ऑटोमोटिव इं डया प्राइवेट ल मटेड, हरिद्वार	2013-14	Q1(Apr-Jun)	25.07.2013	21.10.2013	3079612	307961.2
			Q1(Apr-Jun)	25.07.20113	20.02.2014	2612719	261271.9
			Q1(Apr-Jun)	25.07.2013	21.01.2014	3275469	327546.9
3.	सर्वश्री टेकनो ट्रेडर्स, हरिद्वार	2012-13	04/2012	25.05.2012	30.06.2012	74860	7486.0
			05/2012	25.06.2012	25.06.2012	105029	10502.9
			07/2012	25.08.2012	28.08.2012	92147	9214.7
			11/2012	25.12.2012	30.01.2013	93971	9397.1
			12/2012	25.01.2013	30.01.2013	64287	6428.7
			01/2013	25.02.2013	13.03.2013	93972	9397.2
			02/2013	25.03.2013	11.04.2013	164853	16485.3
Total						**1,27,81,919**	**1278191.9**

भाग – 2 (ख)

प्रस्तर – **02** कर एवं अर्थदण्ड का न्यूनारोपण `**1.03** लाख|

उत्तराखंड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा – 58(1)(xiv) के अनुसार यदि व्यौवहारी द्वारा मथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज रखा जाता है | अथवा प्रस्तुत कया जाता है, तो कर की उस धनरा श का कम से कम 50% अर्थदण्ड आरोपणीय होगा|

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क नि) –II वा णज्य कर, हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया क

1.व्यापारी सर्वश्री महागौरी कम्युनिकेशन रानीपुर मोड़ , हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा संगत वर्ष में मोबाइल की व्यापारिक स्थिति निम्न प्रकार दर्शाई गयी थी|

प्रारं भक रहतिया – `32,69,195/-
क्रय - `2,46,22,876/-
योग - `27892071/-
अतिम रहतिया – `26,89,556/-
बिक्री होनी चाहिए थी – `2,52,02,515/-
परन्तु व्यापारी द्वारा प्रद र्शत बिक्री – `23828731/-
अत: छिपाई गयी बिक्री – `1373784/- (25202515-23828731)
अत: छिपाई गयी बिक्री `13,73,784/- पर 5% की दर से `68,689/- का कर आरोपणीय था | साथ ही नियमानुसार न्यूनतम 50% अर्थदण्ड `34,345/- आरोपणीय था|

अत: प्रकरण उच्चा धकरियो के संज्ञान में लाया जाता है|

भाग 2(ख)

प्रस्तर स-**03** अर्थदण्ड का अनारोपण `**2.89** लाख

केन्द्रीय बिक्री कर अ धनियम 1956 की धारा – 10 'क' के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत व्यापारी द्वारा केन्द्रीय फार्म – सी के वरुद्ध रियायती दर पर व्यापारी के केन्द्रीय प्रमाण पत्र से अनाच्छादित वस्तुओ की खरीद कये जाने पर उस वस्तु पर आरोप णय कर का 1.5 गुना अर्थदण्ड आरोपणीय होगा|

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क नि) –II वा णज्य कर हरिद्वार के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाच मैं पाया गया क व्यापारी सर्वश्री साईंनोकेम फार्मास्यूटिकल्स ल मटेड, हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा 07 फार्म – सी जारी करके प्रान्त के बाहर से Rs 14,25,915/- का AHU A/C, CCTV कैमरा तथा Furniture / Fixture की रियायती दर पर क्रय की गयी थी | जब क केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार व्यापारी उक्त वस्तु की प्रपत्र – सी निर्गत करके प्रान्त बाहर से रियायती दर पर खरीद हेतु अ धकृत नहीं था | अत: केन्द्रीय बिक्री कर अ धनियम 1956 की धारा 10 'क' के अंतर्गत `2,88,748/- (14,25,914 X 13.5% X 1.5) अर्थदण्ड आरोपणीय था (सूची संलग्न) |

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क व ध अनुसार कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा|

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

सूची

Invoice wise list of Inter-state purchase against Form 'C'

क्रमांक सं	फार्म – सी संख्या	इन्वोइस संख्या	वस्तु का नाम	धनरा श
1.	0259465	4685	A.H.U	86260
2.	0259468	1410	CCTV, Camera	24302
3.	0259473	388,393,402,407	A.H.U A/C	438428
4.	0259474	421	A.H.U A/C	339659
5.	0259502	54,55	Furniture / Fixture	153265
6.	0259504	794,795,869	Furniture / Fixture	141757
7.	0259505	868	Furniture / Fixture	20251
Total				**1425914**

भाग-**III**

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
CT/07/2006-2007	-	1,2,3,4,5
CT/20/2008-2009	-	01
CT/26/2010-2011	-	03
CT/06/2013-2014	-	02
CT/38/2014-2015	02	01,03
CT/06/2015-2016	01	01,02,03

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

व्यय से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:** शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**II** वा णज्य कर, हरिद्वार तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री रोशन लाल	राज्यकर उपायुक्त (क0नि0)-II, हरिद्वार

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**II** वा णज्य कर, हरिद्वार को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र